विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-04/2021

श्री अमित प्रणामी, — आवेदक/अपीलार्थी
प्लाट नं. 1, मोहन नगर,
अयोध्या बायपास रोड़,
भोपाल (म.प्र.) – 462041

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक, — अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी
शहर संभाग (पूर्व),
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.) – 462 001

आदेश

(दिनांक 22.12.2021 को पारित)

01. परिवादी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 42(5) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम चांदबढ़ भोपाल द्वारा पारित आदेश क्रमांक बी.टी. 60/2021 दिनांक 14.06.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है । विद्वान फोरम द्वारा अपने आदेश के माध्यम से अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद को निरस्त किया गया ।

02. परिवादी द्वारा विद्युत फोरम के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में यह व्यक्त किया गया था कि स्थायी विच्छेदन व नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बावजूद प्रति–अपीलार्थी द्वारा 23365 रू0 की राशि हेतु अनुचित मांग पत्र फार्म दिनांक 14.12.2020 जारी किया गया है । अतः उक्त मांत्र पत्र को समाप्त किया जावे ।

03. अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए अपने जवाब में यह व्यक्त किया गया है कि उपभोक्ता के उपर माह जून 2016 से माह सितम्बर 2016 तक मासिक बिल का फिक्सड चार्ज नहीं लगा था । फिक्सड चार्ज व्यावसायिक कनेक्शन पर भार के आधार पर महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है । ऑडिट में उक्त तथ्य प्रकट होने पर उपभोक्ता को फिक्सड चार्ज हेतु

23380/– रू. का मांग पत्र प्रेषित किया है जो पूर्णतः सत्य है, अतः परिवादी का आवेदन पत्र निरस्त किया जावे ।

04. विद्युत उपभोक्ता फोरम द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों एवं प्रपत्रों के आधार पर आवेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

05. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह व्यक्त किया गया है कि विद्वान फोरम द्वारा पारित आदेश में आवेदक अपीलार्थी द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः ऐसी दशा में अनुचित मांग पत्र दिनांक 14.12.2020 रू. 23365/– को समाप्त कर अपीलार्थी को व्यय राशि रू0 2000/– दिलाई जाएं ।

06. प्रति–अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए अपने जवाब में यह व्यक्त किया कि उपभोक्ता के विद्युत देयक में माह जून 2016 से सितम्बर तक मासिक विद्युत देयकों को त्रुटिपूर्ण फिक्स चार्ज लगाकर नहीं आया था । उक्त अवधि में उपभोक्ता का संयोजन चालू था । एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा जारी डिमाण्ड बेस्ड टैरिफ के अनुसार मासिक फिक्स चार्ज उपभोक्ता से वसूल किया जाना अनिवार्य है जो बिलिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है । इसी आधार पर प्रति–अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी से फिक्स चार्ज की राशि हेतु मांग पत्र जारी किया गया है जो पूर्णतः विधि सम्मत है । प्रति–अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में यह भी व्यक्त किया गया कि ऑडिट के आधार पर जारी बिल प्रथमतः शौध्य की श्रेणी में आता है, अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाएं ।

07. प्रति–अपीलार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के प्रत्युत्तर में परिवादी/अपीलार्थी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि दिनांक 01.07.2017 को उसके कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था एवं उक्त कनेक्शन पर किसी भी प्रकार की राशि बकाया न होने के कारण दिनांक 03.07.2017 को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया । 03 जुलाई 2017 के बाद से उक्त कनेक्शन पर कोई भी राशि बकाया नहीं है ऐसी दशा में साढ़े तीन साल बाद अतिरिक्त बिल जारी किए जाने का कोई

औचित्य नहीं है । अनावेदक द्वारा की गई मांग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) एवं परिसीमा अधिनियम से बाधित होने के कारण उक्त मांग पत्र निरस्ती योग्य है ।

08. इस अपील के विनिश्चय हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान फोरम द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश किसी तात्विक अथवा विधिक त्रुटि से ग्रसित है ?

09. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए तथ्यों को श्रवण एवं परिपत्रों का अवलोकन किया गया । वर्तमान प्रकरण में इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी का विद्युत विच्छेदन किए जाने के 3 वर्ष पश्चात् उसे सप्लीमेंट्री बिल जारी किया गया है । अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में मौखिक रूप से आपत्ति इस आधार पर उठाई गई है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अंतर्गत ग्राहक से देय कोई भी राशि उस तारीख से 2 वर्ष की अवधि के अवधि के पश्चात् वसूली योग्य नहीं है, जिस दिन वह पहली बार देय हुई थी । जहां तक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी सप्लीमेंट्री बिल का प्रश्न है विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पूर्व जारी बिलों में फिक्स चार्ज नहीं लगाए जाने के कारण पूर्व में बिल जारी किए गए थे एवं ऑडिट जांच से विद्युत वितरण कम्पनी को इस तथ्य की जानकारी हुई कि पूर्व के बिलों में फिक्स चार्ज नहीं लगाया गया था तो उसके द्वारा फिक्स चार्ज लगाकर पूरक बिल जारी किया गया ।

10. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां ऑडिट जांच के आधार पर किसी बिल के त्रुटिपूर्ण होने का तथ्य प्रकट होता है तो ऐसी दशा में ऐसे तथ्य के आधार पर जारी देयक को प्रथमतः शौध्य माना जावेगा एवं ऐसी दशा में परिसीमा की अवधि उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को विद्युत प्रभार प्रथमतः देय हुआ था । इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्णीत मामला **अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम रहमतुल्ला खान सिविल अपील क्रमांक 1672/2020** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट अभिमत दिया गया कि जहां ऑडिट अथवा अन्य आधार पर विद्युत वितरण कम्पनी को यह जानकारी प्राप्त होती है कि पूर्व में जारी बिल गलत आधार पर जारी किए गए हैं तो ऐसी त्रुटि को परिमार्जित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी पूरक मांग पत्र जारी करने हेतु अधिकृत है एवं ऐसे मामलों में उपभोक्ता से

वसूली योग्य राशि प्रथमतः तभी शौध्य मानी जावेगी जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी राशि के लिए बिल जारी कर दिया हो । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत भी दिया गया था कि ऐसे मामलों में अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए अधिनियम में वर्णित उपायों का सहारा लेने हेतु स्वतंत्र है एवं ऐसी दशा में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) का निषेध लागू नहीं होगा ।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए इस अभिमत की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मेसर्स प्रेम कोटेक्स बनाम उत्तरी हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड सिविल अपील क्रमांक 7235/2009** में की गई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर वर्णित रहमतुल्ला वाले मामलें में दिए गए अभिमत की पुष्टि करते हुए यह अभिमत दिया गया कि धारा 56 (2) अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी को किसी त्रुटि की जानकारी होने पर ऐसी त्रुटि के परिमार्जन हेतु नवीन विद्युत देयक जारी करने से निवारित नहीं करती है । इन समग्र परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय विद्युत फोरम द्वारा परिवादी के परिवाद को निरस्त करने में किसी प्रकार की तात्विक अथवा विधिक त्रुटि की गई है ।

12. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है । फोरम का प्रश्नाधीन आदेश यथावत् रखा जाता है ।

13. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

14. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल